आवश्यक दिशा निर्देश

- शो संचालन से पहले चश्मा लेते समय चश्मा चेक कर लें अन्यथा शो खत्म होने के बाद चश्मा टूटा, कांच पे धब्बा, खरोच जैसी कोई भी खराबी पाया गया तो 500रु जुर्माना वसूला जायेगा।
- Take the spects only after checking, otherwise if any defect like spot on glass, broken, scratches on the glass is found later, a fine of Rs 500 will be charged.
- बैग, थैला या अन्य अनापत्ति जनक सामान प्रवेश द्वार पर ही जमा कर दें।
- Please deposit your bags and other non-objectiable items at the entrance gate.
- परिसर के अन्दर सरकारी सम्पती को छितग्रस्त न करें । छितिग्रस्त करते हुए पाये गए तो उसकी भरपाई अपको करना होगा।
- Do not damage government property within the premises. if it found causing damage, you will have to compensate for it.
- परिसर के अन्दर यत्र—तत्र न थूकें। परिसर के अन्दर यत्र—तत्र थूकेंते हुए पाया गया तो 200रु जुर्माना वसूला जायेगा।
- Do not spit anywhere inside the premises. if you found spitting here and there inside the premises, a fine of Rs 200 will be charged.
- परिसर के अन्दर ध्रूमपान सख्त मना हैं। परिसर के अन्दर ध्रूमपान करते हुए पाया गया तो 200रु जुर्माना वसूला जायेगा।
- Smoking is strictly prohibited inside the premises. If you found smoking inside the premises, a fine of Rs 200 will be charged.
- यदि कोई भी व्यक्ति टिकट का कालाबाजारी करते हुऐ पकड़े गये तो इसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाई की जायेगी।

• If any person is caught doing black marketing of tickets, then legeal action will be taken against him.

प्राचार्य, दरमंगा अभियंत्रण महाविद्यालय, –सह– प्रभारी पदाधिकारी, तारामंडल –सह–ज्ञान एवं विज्ञान संग्रहालय, दरमंगा।